

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
<p>4-8-21</p>	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स घर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 28-10-21...को पेश होंगे।</p> <p>PO 86 का स्थानान्तरण केनेत</p>
<p>20-10-21</p>	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स घर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 10-11-21...को पेश होंगे।</p>
<p>10-11-21</p>	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स घर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 29-12-21...को पेश होंगे।</p>
<p>29-12-21</p>	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स घर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 9-2-22...को पेश होंगे।</p>
<p>9-2-22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स घर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 16-3-22 को पेश होंगे।</p>
<p>16-3-22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई प्राथमिकता के आधीवता उपस्थित अग्रार्थेशन। लगातार 8 व उनके आधीवता अनुपस्थित अग्रार्थेशन 31-10-2019 से वास्ते जकाव प्राथमिकता पेश करने लगभग 2 वर्ष से अक्सर दिवंगत</p>

हुकम का
अग्रार्थेशन / अग्रार्थ
पेश नहीं रहे
। लगातार

अप्राथमिक / अणायत 8 की अपेक्षा जकाब जायद
 पेश नहीं किया गया। अतः अप्राथमिक
 । अणायत 8 का जकाब जायद बन्द किया
 जाकर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
 अणायत (अप्राथमिक) प्राथमिक के आधी
 की एक पक्षीय कदम सुनी गई प्राथमिक
 के आधीवक्ता ने प्राथमिक-पक्ष में वास्तविक तथ्यों
 को दर्शाते हुए अप्राथमिक को जर्म अस्थायी
 निवेद्याला से पावन्ड परभाव्ये जाने का निवेदन
 किया।

हमारे साथ प्राथमिक के आधीवक्ता की एक
 तथ्या बहस पर मनन किया गया एवं पणवली
 का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।
 पणवली पर उपलब्ध ~~अ~~ राजस्व रिकार्ड ~~अ~~
 के प्राथमिक सदस्वातेदार हैं। एवं मूलवाद
 में प्राथमिक विवादित आराजी का बखारा
 कराकर अपना पृथक दृष्टि चाहते हैं।
 प्राथमिक प्राथमिक की खातेवाही भूमि पर
 अवरोध पेश करने का भी कथन किया
 गया है सुनी प्राथमिक व अप्राथमिक सचुल
 रूप से सदस्वातेदार होने से एक तथ्या पत्र
 किया जाना उचित नहीं है अतः उभयपक्ष
 को मूलवाद में अन्तिम बखारा होने तक
 जर्म अस्थायी निवेद्याला से पावन्ड किया
 जाता है कि विवादित आराजी ख.न 453 ख.न
 453/1181 ख.न 454 ख.न. 523, ख.न. 524
 ख.न. 525, ख.न. 526 ख.न 527, ख.न 528
 वाले ग्राम उत्तरना तहसील इन्डुशर की रिकार्ड व
 मौके की यथास्थिति बनाये राखे विवादित
 आराजी के रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई
 परिवर्तन नहीं करे। पणवली केवल मुआवजेकर
 सलाने मूलवाद रहे।

जज
 अधिकारी
 बाबरी (दुबई)